

अनुमति की शर्तें ।

- (i) सवत भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवले के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल जिम्मेदारी केवल आवासीय पुर्णोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 800 दिनांक 08/12/2020

पार्थी विमला निम्बू 516 मी माइल लॉक निम्बू

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 22094/- वमा

जरिये रसीद संख्या 9062/4255, 4256

दिनांक 08/12/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 19 जोधपुर नगर मेन्टर एफ-4
पार्थी नगर, मॉडर हाइस रोड, राजमाडा

08/12/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी +
आवासीय